भारतीय डाक विभाग मना रहा राष्ट्रीय डाक सप्ताह

ब्यावर (निसं) । अधीक्षक डाकघर कमलेश प्रजापत ने बताया कि 06 से 10 अक्टूबर ''राष्ट्रीय डाक सप्ताह के दौरान राष्ट्रीय डाक सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। विभाग द्वारा प्रत्येक दिवस विशेष दिवस के रूप में मनाये जायेंगे। 6 अक्टूबर तकनीकी दिवस, 7 अक्टूबर वित्तीय समावेशन दिवस, 8 अक्टूबर फिलेटली एवं नागरिक केन्द्रीयकृत सेवाये दिवस, 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस, और10 अक्टूबर 2025 ग्राहक दिवस के रूप में मनाया जाएगा।

वित्तीय समावेषन दिवस के अतर्गत राजकीय छावनी गर्ल्स उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत छात्राजों हेतु एक विशेष आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य छात्राओं में बचत के प्रति जागरूकता उतान्न करना था। इस कैम्प के दौरान छात्राओं को डाक विभाग की विभिन्न बचत बैंक योजनाओं की जानकारी दी गयी एवं उन्हें डाक विभाग की विभिन्न योजनाओं से जुडने एवं खाते खुलवाने हेतु प्रेरित किया गया। इसके अतिरिका एक आधार सेन्टर का भी विद्यालय में किया गया। जिससे छात्राओं अध्यापक अध्यापिकाओं एवं आम जन के आधार सम्बन्धी अपडेशन का कार्य किया गया। डाक विभाग के स्टॉफ द्वारा विद्यालय में कार्यरत अध्यापक अध्यापिकाओं को डाक जीवन बीगा की जानकारी भी प्रदान की गई। उक्त कैम्प के प्रति विद्यालय की छात्राओं का भारी रूझान देखा गया। इस अवसर पर राजकीय छावनी गर्ल्स उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाचार्या विमला चौहान को कमलेश प्रजापत अधीक्षक डाकघर ब्यावर मण्डल द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया।

महिला सशक्तिकरण और विकसित भारत की राह एक ही है : दिया कुमारी

ब्यावर (निसं)। अखिल भारतीय जांगिड़ ब्राह्मण महासभा, प्रदेश सभा महिला प्रकोष्ठ राजस्थान द्वारा मातृशक्ति सम्मेलन 2025 एवं प्रदेश स्तरीय महिला अधिवेशन का आयोजन मोतीमहल, सतपुलिया में किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी रहीं। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि आज का यह कार्यक्रम मातृशक्ति को समर्पित है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा महिलाओं को 33 आरक्षण दिया जाना, सरकार की मातृशक्ति के प्रति आदर और विश्वास का प्रतीक है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक योजनाएं चल रही हैं, अब हमें यह जिम्मेदारी लेनी होगी कि अधिक से अधिक महिलाएं इन योजनाओं से जुड़ें और लाभान्वित हों।

उन्होंने कहा कि महिलाओं का आर्थिक रूप से मजबूत होना ही सशक्त भारत की आधारशिला है। महिला सशक्तिकरण और विकसित भारत की राह एक ही है। विशिष्ट अतिथि विधायक अजमेर दक्षिण अनीता भदेल, पूर्व महिला एवं बाल विकास मंत्री ने कहा कि महिला शब्द में म का अर्थ ममता, ह का हिम्मत और ला का लाजवंती है। लज्जा और मर्यादा भारतीय नारी का आभूषण हैं, जो सनातन धर्म की प्रकृति को दर्शाता है। विधायक शंकर सिंह रावत ने कहा कि मां का नाम लेकर जो नमन करता है, उसका जीवन सफल होता है। मातृशक्ति हमारे सभी शुभ कार्यों की प्रेरणा है। इस अवसर पर प्रधान महासभा रामपाल शर्मा, रामगोपाल सुथार, अध्यक्ष विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड राजस्थान, पूर्व प्रधान महासभा कैलाश चंद बरनेला, रविशंकर शर्मा, अमराराम जांगिड़, अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रकोष्ठ, सविता शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ,आजीत मांडन, प्रदेश मंत्री भाजपा, एवं मधु शर्मा, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ सहित अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता घनश्याम पंवार, प्रदेश अध्यक्ष (राजस्थान) ने की। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण समाज की प्रगति की नींव है। मातृशक्ति के बिना कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रदेशभर से महिलाएं, समाजसेवी, शिक्षाविद एवं युवा वर्ग उपस्थित रहे।

- मातृशक्ति सम्मेलन 2025 में महिलाओं को योजनाओं से जुड़ने का आव्हान किया, एवं कहा कि महिलाओं का आर्थिक रूप से मजबूत होना ही सशक्त भारत की आधारशिला है

महिला प्रकोष्ठ राजस्थान द्वारा मातृशक्ति सम्मेलन का आयोजन उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी की मौजूदगी में हुआ।

प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत एडीए आयुक्त ने किया शिविर का अवलोकन

अजमेर (कासं)। प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत मंगलवार को एडीए आयुक्त नित्या के ने सचिव अनिल कुमार पुनिया व उपायुक्त, अनिल चौधरी के साथ एडीए परिसर में आयोजित शिविर का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने शिविर में आने वाले नागरिकों से बातचीत कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली तथा अधिकारियों को शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। एडीए आयुक्त नित्या के ने विभिन्न लगाए गए काउंटरों का निरीक्षण किया और मौके पर ही कई आवेदनों का समाधान भी करवाया, उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य आमजन को सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है। उन्होंने शिविर प्रभारी अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविर में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को योजनाओं की पूर्ण जानकारी दी जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होने कहा कि बुधवार से एडीए का पूरा स्टाफ शिविर स्थल पर ही मौजूद रहे ताकि अधिक से अधिक लोगों को शिविर का लाभ मिल सके।

एडीए आयुक्त नित्या के. ने सचिव अनिल कुमार पुनिया के साथ एडीए परिसर में आयोजित शिविर का अवलोकन किया।

दो हजार किलो चीज जब्त कर की नष्ट : शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान

अजमेर(कासं)। आगामी त्योंहार के मद्देनजर बाजारों में पैकिंग खाद्य पदार्थों सहित अन्य उत्पादों की पैकिंग, मैकिंग, मैन्युफैक्चरिंग पर स्वास्थ्य विभाग नजर बनाए हुए है। मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग के फूलउ विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पदमपुरा गांव स्थित एक फैक्ट्री में दबिश देकर बाजार में बिकने के लिए तैयार की जा रही 2 हजार किलो चीज को जब्त कर नष्ट किया गया। टीम को कार्रवाई के दौरान चीज के पैकेट पर मैन्युफैक्चरिंग डेट, बैच नंबर सहित कोडिंग तक नहीं मिली थी, टीम ने सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे हैं। जांच रिपोर्ट आने पर आगे की कार्यवाही की जाएगी।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी केसरी नंदन शर्मा ने बताया कि सीएमएचओ के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा आगामी त्योंहारों के मद्देनजर शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत फूड विभाग टीम अलर्ट मोड पर है। टीम की ओर से खाद्य पदार्थों पर मैन्युफैक्चरिंग वाली जगह पर जाकर चेक किया जा रहा है। शर्मा ने बताया कि मंगलवार को टीम ने पुष्कर रोड स्थित पदमपुरा गांव में संचालित शिवांश पिज्जा चीज फैक्ट्री पर दबिश दी गई। फैक्ट्री के अंदर चीज का निर्माण किया जा रहा था। विभिन्न प्रकार की चीज तैयार की जा रही है।

2 हजार किलो चीज जब्त कर की नष्ट, सैंपल भेजे जांच को: शर्मा ने बताया कि फैक्ट्री पर टीम को 2 हजार किलो चीज तैयार पैकेट में मिली जो मार्केट में सप्लाई करनी थी, उन पैकेट पर मैन्युफैक्चरिंग डेट, बैच नंबर और कोडिंग नहीं लिखी थी और न ही लेबल में पूरा एड्रेस लिखा हुआ है, जो कि नियमों का उल्लंघन है। साथ ही इस चीज में बटर का फ्लेवर भी मिला रखा था, जिससे ग्राहक को घी की खुशबू आती। मालिक की ओर से कोई संतोजनक जवाब नहीं दिया गया। मोजरेला चीज भी तैयार की गई थी। भंवर सिंह नाम के व्यक्ति द्वारा फैक्ट्री संचालित की जा रही थी। टीम ने कार्रवाई करते हुए 2 हजार किलो चीज को जब्त नष्ट किया है। सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं, रिपोर्ट आने पर फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

- चीज पैकेट पर नहीं थी मैन्युफैक्चरिंग डेट, बैच नंबर व कोडिंग, सैंपल भेजे जांच को

खेले गतिविधि का उद्देश्य बच्चों के बीच सहभागिता : कौशिक

अजमेर (कासं)। राजस्थान महिला कल्याण मंडल द्वारा समाज कल्याण सप्ताह के समापन अवसर पर साथ खेले, खेल गतिविधि का आयोजन हर्षोल्लास एवं उत्साह के साथ किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग एवं गैर-दिव्यांग बच्चों को एक साझा मंच पर लाकर खेल के माध्यम से समावेश और समान अवसर की भावना को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में संस्था निदेशक राकेश कुमार कौशिक ने संस्था की विभिन्न संस्थागत गतिविधियों का उल्लेख करते हुए साथ खेले कार्यक्रम की पृष्ठभूमि, उद्देश्य और महत्व पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संस्था सदैव दिव्यांग बच्चों के समग्र विकास के लिए कार्यरत रही है और यह कार्यक्रम उसी दिशा में एक सार्थक पहल है। संस्था सचिव एवं मुख्य कार्यकारी क्षमा आर. कौशिक ने बताया कि साथ खेले गतिविधि का उद्देश्य बच्चों के बीच सहभागिता, आत्मविश्वास और खेल भावना का विकास करना है, उन्होंने कहा कि खेल केवल शारीरिक विकास का माध्यम नहीं बल्कि समावेश, सहयोग और संवेदनशीलता सिखाने का एक सशक्त साधन है, उन्होंने यह भी कहा कि दिव्यांग और गैर-दिव्यांग बच्चों को साथ खेलते देखना वास्तव में समावेशी शिक्षा और समाज की भावना का साकार रूप है। मुख्य अतिथि जीतमल प्रजापति ने कहा कि बच्चों को भेदभाव रहित वातावरण उपलब्ध कराना बहुत आवश्यक है यह वातावरण बच्चों को संस्था द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है।

सभी अतिथियों ने हरी झंडी दिखाकर प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया और खेल मैदान में बच्चों के जोश और आत्मविश्वास की सराहना की। अतिथियों ने कहा कि साथ खेले जैसी गतिविधियां बच्चों के भीतर निहित प्रतिभा को उभारने और उन्हें मुख्यधारा में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

नेशनल कोच डॉ भगवान सहाय शर्मा ने बताया कि इस अवसर पर 100 मीटर, 50 मीटर और 200 मीटर दौड़, शॉट पुट, स्केटिंग तथा छोटे बच्चों के लिए कुर्सी दौड़ जैसी विविध खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिनमें बच्चों ने अत्यंत उत्साह और ऊर्जा के साथ भाग लिया। प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को मेडल देकर सम्मानित किया गया, जबकि सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान कर प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि भाजपा जिला देहात अध्यक्ष जीतमल प्रजापत द्वारा किया गया।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर
निविदा आमंत्रण सूचना

Annual repairs & Maintenance of Electric system (Supplying & Fixing of required articles) at Board Campus, Ajmer & Jaipur (अनुमानित राशि रूपये 18.50 लाख) हेतु इच्छुक निविदादाता से बोली ऑनलाईन दिनांक 08.10.2025 से 28.10.2025 को सायं 5.00 बजे तक प्राप्त की जावेगी, धरोहर राशि, निविदा शुल्क व RISL फीस निर्धारित बैंक ड्राफ्ट द्वारा दिनांक 29.10.2025 को सांय 5.00 बजे तक कार्यालय में जमा करानी होगी एवं प्राप्त निविदा दिनांक 30.10.2025 को प्रातः 11.30 बजे खोली जावेगी। निविदा संबंधी अन्य विवरण राज्य सरकार के उपापन पोर्टल (http://eproc.rajasthan.gov.in, http://sppp.raj.nic.in) पर देखा जा सकता है।
UBN-SEB2526WSOB00021 सविवि

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर
मूल आवंटी/अन्तरिति द्वारा निष्पादित वसीयतनामें के आधार पर नामान्तरण हेतु आम सूचना का प्रारूप
-आम सूचना-
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण पृथ्वीराज नगर आवासीय योजना के आवासीय भूखंड संख्या डी-445 क्षेत्रफल 111.11 वर्गगज के आवंटी श्री दानाराम पुत्र श्री अम्बालाल निवासी फॉयसागर रोड, अजयसर की मृत्यु दिनांक 21.03.2022 को होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र तथा वसीयतनामा (अपंजीकृत दिनांक 14.8.14) सलंग्न कर मृतक द्वारा निष्पादित वसीयतनामें के आधार पर नामान्तरण हेतु श्री हरीश बसरमलानी पुत्र श्री अशोक बसरमलानी निवासी किशन गुरनानी मोहल्ला, अजमेर द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त नामान्तरण किये जाने के संबंध में किसी को आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर आपत्ति प्राधिकरण कार्यालय में दर्ज करावें। उक्त नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं होगी व आवेदकों के नाम नामान्तरण की कार्यवाही की जा सकेगी।
-योजना प्रभारी अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर
मूल आवंटी/अन्तरिति की मृत्यु पर उत्तराधिकारियों के पक्ष में संयुक्त नामान्तरण हेतु आम सूचना का प्रारूप
-आम सूचना-
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण की गणेश गुवाड़ी पंचशील नगर योजना के आवासीय/व्यवसायिक भूखण्ड संख्या जी-693 क्षेत्रफल 50 वर्गगज आवंटी/अन्तरिति श्री अमरूद्दीन पुत्र सुभान निवासी हटूण्डी जिला अजमेर की मृत्यु दिनांक 14.01.2013 को होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र व सजरा रिपोर्ट संलग्न कर मृतक के वारिसों क्रमशः श्री असलम खां, सद्दाम, युसूफ उर्फ जोरावर, सिराजुद्दीन, नजमा, हसीना पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री अमरूद्दीन निवासी हटूण्डी जिला अजमेर द्वारा नामान्तरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त नामान्तरण किये जाने के संबंध में किसी को आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर आपत्ति प्राधिकरण कार्यालय मे दर्ज करावें उक्त नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार योग्य नही होगी व आवेदको के नाम नामान्तरण की कार्यवाही की जा सकेगी।
-योजना प्रभारी अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर
मूल आवंटी/अन्तरिति द्वारा निष्पादित वसीयतनामें के आधार पर नामान्तरण हेतु आम सूचना का प्रारूप
-आम सूचना-
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण की अफोर्डेबल हा० पालिसी-2009 योजना के अवासीय भूखण्ड संख्या एल5/एफ1 क्षेत्रफल 40. 86 के आवंटी/अन्तरिति श्री हरिश चन्द्र पुत्र स्व. श्री धन्ना सिंह निवासी 71, गांधी नगर धोला भाटा अजमेर की मृत्यु दिनांक 2/1/2012 को होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र तथा वसीयतनामा (पंजीकृत/अपंजीकृत दिनांक) सलंग्न कर मृतक द्वारा निष्पादित वसीयतनामे के आधार पर नामान्तरण हेतु प्रदीप सुनारिया पुत्र श्री भीम सिंह सुनारिया निवासी एफ-12 यू.आई.टी कॉलोनी धोला भाटा अजमेर द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है उक्त नामान्तरण किये जाने के संबंध में किसी को आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर आपत्ति प्राधिकरण कार्यालय मे दर्ज करावें उक्त नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार योग्य नही होगी व आवेदको के नाम नामान्तरण की कार्यवाही की जा सकेगी। -योजना प्रभारी अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर
मूल आवंटी/अन्तरिति की मृत्यु पर उत्तराधिकारियों द्वारा निष्पादित वसीयतनामें के आधार पर नामान्तरण हेतु आम सूचना का प्रारूप
-आम सूचना-
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण की चौरसियावास योजना के आवासीय/व्यवसायिक खसरा संख्या 1514 क्षेत्रफल 168.66 वर्गगज के आवंटी/अन्तरिति श्री छोगालाल जांगिड़ पुत्र रामदयाल जांगिड़ निवासी शांतिपुरा अजमेर की मृत्यु दिनांक 28/8/2025 को होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र तथा वसीयतनामा (पंजीकृत दिनांक 6/3/2017) सलंग्न कर मृतक द्वारा निष्पादित वसीयतनामें के आधार पर नामान्तरण हेतु श्री हंसराज जांगिड़ पुत्र छोगालाल जांगिड़ निवासी शांतिपुरा क्रिश्चयनगंज अजमेर द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त नामान्तरण किये जाने के संबंध में किसी को आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर आपत्ति प्राधिकरण कार्यालय मे दर्ज करावें उक्त नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार योग्य नही होगी व आवेदको के नाम नामान्तरण की कार्यवाही की जा सकेगी -योजना प्रभारी अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर

अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर
क्रमांक-अविप्रा/प.12/नियमन/2025-26 विज्ञप्ति दिनांक:
विषय: राजस्व ग्राम खोडा जोन किशनगढ के खसरा संख्या 1472/1471 व 1591/1470 का औद्योगिक प्रयोजनार्थ ले आउट अनुमोदन हेतु पहुंच मार्ग का मार्गाधिकार विभागीय अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के अनुसार राजस्व ग्राम खोडा के खसरा संख्या 134/1285, 134,1469/1286, 1468/1286, 134/1286 को 18 मीटर निर्धारित करने हेतु आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने बाबत। उक्त भूमि में प्रार्थी ले आउट प्लान अनुमोदन हेतु अविप्रा में आवेदन किया है जिसमें समिति की बैठक 10/2025 दिनांक 27.08.2025 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया है। आवेदित भूमि के पहुंच मार्ग की चौडाई मास्टर प्लान में निर्धारित नहीं है। पहुंच मार्ग का मार्गाधिकार विभागीय अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के अनुसार 18 मीटर निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए आपत्ति/सुझाव आमंत्रित आवश्यक अग्रिम कार्यवाही की जावें। उक्त निर्णय के क्रम में उक्त भूमि के सामने स्थित राजस्व ग्राम खोडा के खसरा संख्या 134/1285, 134,1469/1286, 1468/1286, 134/1286 को 18 मीटर सडक निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है अतः टाउन पॉलिसी 2010 के बिंदु संख्या 3(ii) के अनुसार 7 दिवस में आपत्ति/सुझाव हेतु विज्ञप्ति जारी की जाती है। कृपया निर्धारित समय में आपत्ति/सुझाव निदेशक आयोजना अविप्रा को प्रस्तुत करें।
-उपायुक्त(जोन किशनगढ) अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।

कार्यालय नगर परिषद, ब्यावर
बेचान नामा
LSG/BEAWAR/MUT/2025/151995 DATE-27.09.2025
क्रमांक: नगरीय विकास कर/2025-26/8260 सार्वजनिक सूचना दिनांक-01-10-25
श्री मोहम्मद हुसैन पुत्र श्री उस्मान गनी, ब्यावर ने क्षेत्र नं. 01 कॉलोनी चुन पचान गली नं. 04 प्लॉट/मकान म्यु नं. 6/134 नया नं. मकान सं. 29 क्षेत्रफल 34.56 वर्गगज, जो कि नगर परिषद ब्यावर के नगरीय विकास कर रिकॉर्ड श्रीमती कौशल्या देवी पत्नि श्री फतुमल जी के नाम दर्ज है। तत्पश्चात बेचान नामा दिनांक 19.9.2025, 25.10.2004 व स्वयं घोषणा शपथ पत्र प्रस्तुत कर नगरीय विकास कर अनुभाग (गृहकर) पंजिका में नामान्तरण के लिए आवेदन किया है। अतः इस नाम परिवर्तन के संबंध में किसी व्यक्ति या किसी संस्था को कोई आपत्ति हो तो मय प्रमाणित दस्तावेज सात दिवस में आपत्ति प्रस्तुत करें। बाद मयाद कोई भी आपत्ति विचारणीय नहीं होगी। -आयुक्त नगर परिषद, ब्यावर

कार्यालय नगर परिषद, ब्यावर
बेचान नामा
LSG/BEAWAR/MUT/2025/152032 DATE-10.09.2025
क्रमांक: नगरीय विकास कर/2025-26/8261 सार्वजनिक सूचना दिनांक-01-10-25
श्री मोहम्मद हुसैन 2 श्री मोहम्मद जफर पुत्र श्री उस्मान गनी, ब्यावर ने क्षेत्र नं. 7 कॉलोनी/मोहल्ला हाइड्रोलिक कॉटन प्रेस मार्ग प्लॉट/मकान पुराना नं. 6/71 नया नं. 01 का भाग 8 बी क्षेत्रफल 80.56 वर्गगज, जो कि नगर परिषद ब्यावर के नगरीय विकास कर रिकॉर्ड राजेन्द्र पहाड़िया पुत्र श्री मूलचंद जी के नाम दर्ज है। तत्पश्चात बेचान दिनांक 16.9.2025 व स्वयं घोषणा शपथ पत्र प्रस्तुत कर नगरीय विकास कर अनुभाग (गृहकर) पंजिका में नामान्तरण के लिए आवेदन किया है। अतः इस नाम परिवर्तन के संबंध में किसी व्यक्ति या किसी संस्था को कोई आपत्ति हो तो मय प्रमाणित दस्तावेज सात दिवस में आपत्ति प्रस्तुत करें। बाद मयाद कोई भी आपत्ति विचारणीय नहीं होगी। -आयुक्त नगर परिषद, ब्यावर

कार्यालय नगर परिषद, ब्यावर
बेचान नामा
LSG/BEAWAR/MUT/2025/15202 DATE-28.09.2025
क्रमांक: नगरीय विकास कर/2025-26/8262 सार्वजनिक सूचना दिनांक-01-10-25
श्री मोहम्मद अलताफ 2 श्री मोहम्मद अफजल पुत्र श्री उस्मान गनी, ब्यावर ने क्षेत्र नं. 7 कॉलोनी मोहल्ला हाईड्रोलिक कॉटन प्रेस मार्ग प्लॉट/मकान पुराना नं. 6/71 नया नं. 01 का भाग 8 ए व 9 बी क्षेत्रफल 77. 94 वर्गगज, जो कि नगर परिषद ब्यावर के नगरीय विकास कर रिकॉर्ड राजेन्द्र पहाडिया पुत्र श्री मूलचन्द जी के नाम दर्ज है। तत्पश्चात बेचान नामा दिनांक 08.08.2025 व स्वयं घोषणा शपथ पत्र प्रस्तुत कर नगरीय विकास कर अनुभाग (गृहकर) पंजिका में नामान्तरण के लिए आवेदन किया है। अतः इस नाम परिवर्तन के संबंध में किसी व्यक्ति या किसी संस्था को कोई आपत्ति हो तो मय प्रमाणित दस्तावेज सात दिवस में आपत्ति प्रस्तुत करें। बाद मयाद कोई भी आपत्ति विचारणीय नहीं होगी। -आयुक्त नगर परिषद, ब्यावर

कार्यालय नगर परिषद किशनगढ़ (अजमेर) राजस्थान
क्रमांक-न.पा.कि./कृषि भूमि नियमन /2025/2383 लोक सूचना दिनांक: 07-10-25
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर परिषद किशनगढ़ में राजस्व ग्राम किशनगढ़-बी के खसरा 1490/1468 का कुल किता 01 का 0.0274 हैक्टेयर (आवासीय प्रयोजनार्थ) हेतु पट्टा चाहने हेतु कृषि भूमि नियम न के तहत आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त आवेदित भूखण्ड नियमन में संबंधित किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में इस कार्यालय को लिखित में आपत्तियां/मय साक्ष्य/विवरण सहित कार्यालय समय में दर्ज करावें।

क. सं.	प्रार्थी का नाम	राजस्व ग्राम का नाम एंव खसरा नं व क्षेत्रफल	प्रस्तावित कृषि भूमि नियमन
1.	श्री त्रिलोक गुर्जर पुत्र श्री देवकरण निवासी देव नगर राजारेडी मदनगंज किशनगढ जिला अजमेर	राजस्व ग्राम किशनगढ़-बी खसरा 1490/1468 0.0274 हैक्टेयर	(आवासीय प्रयोजनार्थ) पट्टा चाहनें हेतु

-आयुक्त नगर परिषद, किशनगढ़

कार्यालय नगर परिषद किशनगढ़ (अजमेर) राजस्थान
क्रमांक-न.पा.कि./कृषि भूमि नियमन /2025/2369 लोक सूचना दिनांक: 07-10-25
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर परिषद किशनगढ़ में राजस्व ग्राम किशनगढ़-बी के खसरा 1489/1468 का कुल किता 01 का 0.0268 हैक्टेयर (आवासीय प्रयोजनार्थ) हेतु पट्टा चाहने हेतु कृषि भूमि नियमन के तहत आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त आवेदित भूखण्ड नियमन में संबंधित किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में इस कार्यालय को लिखित में आपत्तियां/मय साक्ष्य/विवरण सहित कार्यालय समय में दर्ज करावें।

क. सं.	प्रार्थी का नाम	राजस्व ग्राम का नाम एंव खसरा नं व क्षेत्रफल	प्रस्तावित कृषि भूमि नियमन
1.	श्रीमती कानका देवी पत्नि श्री रामकरण निवासी देव नगर राजारेडी मदनगंज किशनगढ जिला अजमेर	राजस्व ग्राम किशनगढ़-बी खसरा 1489/1468 0.0268 हैक्टेयर	(आवासीय प्रयोजनार्थ) पट्टा चाहने हेतु

-आयुक्त नगर परिषद, किशनगढ़

कार्यालय नगर परिषद किशनगढ़ (अजमेर) राजस्थान
क्रमांक-न.पा.कि./कृषि भूमि नियमन /2025/2387 लोक सूचना दिनांक: 07-10-25
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर परिषद किशनगढ़ में राजस्व ग्राम किशनगढ़-बी के खसरा 1488/1468 का कुल किता 01 का 0.0262 हैक्टेयर (आवासीय प्रयोजनार्थ) हेतु पट्टा चाहने हेतु कृषि भूमि नियमन के तहत आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त आवेदित भूखण्ड नियमन में संबंधित किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में इस कार्यालय को लिखित में आपत्तियां/मय साक्ष्य/विवरण सहित कार्यालय समय में दर्ज करावें।

क. सं.	प्रार्थी का नाम	राजस्व ग्राम का नाम एंव खसरा नं व क्षेत्रफल	प्रस्तावित कृषि भूमि नियमन
1.	श्री ओम प्रकाश गुर्जर पुत्र श्री देकरण मदनगंज किशनगढ जिला अजमेर	राजस्व ग्राम किशनगढ़-बी खसरा 1488/1468 0.0262 हैक्टेयर	(आवासीय प्रयोजनार्थ) पट्टा चाहने हेतु

-आयुक्त नगर परिषद, किशनगढ़

कार्यालय नगर परिषद किशनगढ़ (अजमेर) राजस्थान
क्रमांक-न.पा.कि./कृषि भूमि नियमन /2025/2375 लोक सूचना दिनांक: 07-10-25
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर परिषद किशनगढ़ में राजस्व ग्राम किशनगढ़-बी के खसरा 1487/1468 का 0.0528 हैक्टेयर 528.00 वर्गमीटर (वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ) हेतु पट्टा चाहने हेतु कृषि भूमि नियमन के तहत आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त आवेदित भूखण्ड नियमन में संबंधित किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में इस कार्यालय को लिखित में आपत्तियां/मय साक्ष्य/विवरण सहित कार्यालय समय में दर्ज करावें।

क. सं.	प्रार्थी का नाम	राजस्व ग्राम का नाम एंव खसरा नं व क्षेत्रफल	प्रस्तावित कृषि भूमि नियमन
1.	श्री गणेशमल पुत्र श्री देवकरण निवासी देव नगर राजारेडी मदनगंज किशनगढ जिला अजमेर	राजस्व ग्राम किशनगढ़-बी खसरा 1487/1468 528 हैक्टेयर	(आवासीय प्रयोजनार्थ) पट्टा चाहनें हेतु

-आयुक्त नगर परिषद, किशनगढ़

कार्यालय नगर परिषद किशनगढ़ (अजमेर) राजस्थान
क्रमांक-न.पा.कि./कृषि भूमि नियमन /2025/2379 लोक सूचना दिनांक: 07-10-25
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर परिषद किशनगढ़ में राजस्व ग्राम किशनगढ़-बी के खसरा 1491/1468 का कुल किता 01 का 0.0277 हैक्टेयर (आवासीय प्रयोजनार्थ) हेतु पट्टा चाहने हेतु कृषि भूमि नियमन के तहत आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त आवेदित भूखण्ड नियमन में संबंधित किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में इस कार्यालय को लिखित में आपत्तियां/मय साक्ष्य/विवरण सहित कार्यालय समय में दर्ज करावें।

क. सं.	प्रार्थी का नाम	राजस्व ग्राम का नाम एंव खसरा नं व क्षेत्रफल	प्रस्तावित कृषि भूमि नियमन
1.	श्री गणेशमल पुत्र श्री देवकरण निवासी देव नगर राजारेडी मदनगंज किशनगढ जिला अजमेर	राजस्व ग्राम किशनगढ़-बी खसरा 1491/1468 0.0277 हैक्टेयर	(आवासीय प्रयोजनार्थ) पट्टा चाहनें हेतु

-आयुक्त नगर परिषद, किशनगढ़

कार्यालय नगर परिषद किशनगढ़ जिला (अजमेर) राज.
क्रमांक: न.प.कि/भूमि/2025/8959 आम सूचना दिनांक: 07/10/2025
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि रानी बाई गुरू सरोज बाई ने 69-क के तहत पट्टा चाहने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो की मोमिनों का मोहल्ला, पुराना शहर किशनगढ़ में स्थित भूखण्ड/परिसर कुल क्षेत्रफल 440.18 वर्गगज है जिसकी सीमाऐं निम्न प्रकार से है-
पूर्व में : बाबू सिलावट एवं नजीर मोहम्मद का मकान
पश्चिम में : आम रास्ता
उत्तर में : कैलाश चंद ताराचंदानी का मकान एवं मोमिनान मस्जिद
दक्षिण में : 10'6'' आम रास्ता एवं मुमताज कारीगर का मकान
उक्त सीमा मध्य स्थित 69-क के तहत पट्टा जारी किये जाने में किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की आपत्ति हो तो लिखित में सूचना प्रकाशन के 7 दिवस में प्रस्तुत करें बाद मियाद किसी प्रकार की कोई आपत्ति/ऐतराज मान्य नहीं होगा। अतः सूचित रहे। -प्रभारी अधिकारी नगर परिषद किशनगढ

कार्यालय नगर परिषद किशनगढ़ (अजमेर) राजस्थान
क्रमांक: न.प.कि/कृषि भूमि नियमन /2025/2299 आम सूचना दिनांक:06/10/25
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर परिषद किशनगढ़ में राजस्व ग्राम मदनगंज के खसरा 244.246 व 247 का भूखण्ड संख्या 23 का हिस्सा का कुल 50.00 वर्गगज (आवासीय प्रयोजनार्थ) हेतु पट्टा चाहने हेतु कृषि भूमि नियमन के तहत् आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त आवेदित भूखण्डे नियमन में संबंधित किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति होतो इस सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में इस कार्यालय को लिखित मे आपतियां/मय साक्ष्य/विवरण सहित क